रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2245] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 2010/कार्तिक 6, 1932
No. 2245] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2010/KARTIKA 6, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2010

विषय :—दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के लिए सरकारी विभागों (केन्द्र सरकार/रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों) से लिए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण ।

का.आ. 2661(अ).—दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रभार देने की दरें वर्ष 2007-08 के लिए सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित की गई थी और उन्हें वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए क्रमशः अधिसूचना सं. का.आ. 2906(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2009 और सं. का.आ. 1257(अ), दिनांक 31 मई, 2010 द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था । अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा संशोधन किया है कि दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रभारों के संबंध में सरकारी विभागों (केन्द्र सरकार/रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों) से कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा । दिनांक 8 अक्तूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे ।

[सं. एफ-20(4)05/एम.पी./पार्ट-II/पार्ट]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2010

Sub :—Fixation of charges for additional FAR arising out of MPD-2021 from Government Departments (Central Government/GNCTD Departments).

S.O. 2661(E).—The rates for grant of additional FAR charges arising out of MPD-2021 were notified for the year 2007-08 *vide* No. S.O. 2955(E), dated 23rd December, 2008 and further extended for the year 2008-09 and 2009-10 *vide* notification No. S.O. 2906(E), dated 17th November, 2009 and No. S.O. 1257(E), dated 31st May, 2010 respectively. Now, Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) with the previous approval of the Central Government, hereby makes the modification that no charges are to be levied towards Additional FAR charges arising out of MPD-2021 from Government Departments (Central Government/ GNCTD Departments). The contents of O.M. dated 8th October, 2008 will remain unchanged.

[No. F-20(4)05/MP/Pt-II/Part]

D. SARKAR, Commr.-cum.Secy.

4195 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.